छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका संख्या 1516 वर्ष 2002

मेसर्स शिवम मोटर्स प्रायवेट लिमि०

विरुद्ध

छ.ग. राज्य व अन्य

- ---

याचिकाकर्ता द्वारा श्री एस.एम. मेढकर, सह श्री.जी.व्ही. कृष्णाराव अधिवक्तागण

उत्तरदाता क्र. -01 द्वारा श्री अरुण साव, उप शासकीय अधिवक्ता

उत्तरदाता क्र. -03 द्वारा श्री मलय कुमार भादुड़ी, अधिवक्ता

आदेश

(दिनांक 01-07-2025)

द्वारा न्यायाधीश सतीश के. अग्निहोत्री

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1- यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत, श्रम न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्र-60/आई.डी.ए/के-111-ए/100 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2002 में आदेशित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को उत्तरदाता क्रमांक 3 को दिनांक 31.08.1999 से मैकेनिक के पद पर विगत समय के संपूर्ण वेतन एवं पारिणामिक अनुतोष के साथ पुनः स्थापित बहाल करने हेतु निर्देशित किया गया था।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी कंपनी में उत्तरदाता क्रमांक 3 को मैकेनिक के पद पर दिनाँक 01.04.1994 से नियुक्त किया गया था। एक वर्ष की अवधि में 240 दिनों से अधिक समय तक निरंतर उसके द्वारा याचिकाकर्ता की कंपनी में कार्य किया। दिनांक 31.08.1999 को उसे बिना पूर्व सूचना के मौखिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया। अपने नियोजन के दौरान उत्तरदाता क्रमांक 3 को 1150/- रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त हो रहा था।

3- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947(जिसे एतसमन पश्चात 1947 के अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 25 एफ के प्रावधानों का पालन न करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा मौखिक रूप से बर्खास्त किये जाने की शिकायत उत्तरदाता क्रमांक 3 द्वारा अतिरिक्त श्रम आयुक्त बिलासपुर को की गई। समझौता प्रक्रिया विफल होने पर एक रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के द्वारा दिनाँक 21.08.2000 के आदेश द्वारा अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के तहत श्रम न्यायालय को मामला संदर्भित किया। उत्तरदाता क्रमांक

3 ने स्वयं साक्षी के रूप में कथन प्रस्तुत किया कि वह याचिकाकर्ता की कंपनी में दिनांक 01.04.1994 से 30.08.1999 तक मेकैनिक के पद पर कार्य कर रहा था । उत्तरदाता क्रमांक 3 ने यह भी कथन किया कि कई बार याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाता क्रमांक 3 को रिपेयरिंग व सर्विसिंग के कार्य से अन्य शहरों में बाहर भेजा जाता था । जिसके लिये याचिकाकर्ता उत्तरदाता क्रमांक 3 को अलग से भुगतान करता था। उसने यह भी कहा है कि उसने एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक दिन कार्य किया।

4- याचिकाकर्ता द्वारा श्रम न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया कि उत्तरदाता क्रमांक 3 याचिकाकर्ता का नियमित कर्मचारी नहीं है। उसे मात्र 20 से 25 दिनों के लिये कार्य की आवश्यकतानुसार रखा गया था। याचिकाकर्ता के पास उत्तरदाता क्रमांक 3 के लिये कोई काम नहीं था इसलिये उत्तरदाता क्रमांक 3 को नियोजन पर नहीं रखा गया था।

5- याचिकाकर्ता ओर श्री एन.डी. जोशी उपस्थित हुए और नियोजक/ याचिकाकर्ता द्वारा उनका परीक्षण किया गया। इस अनावेदक साक्षी ने कहा कि उत्तरदाता क्रमांक 3 को आवश्यकतानुसार कार्य पर संलग्न किया जाता था । अपने प्रतिपरीक्षण में याचिकाकर्ता के साक्षी ने नियमित भुगतान किये जाने एवं हस्ताक्षर लिये जाने से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अस्वीकार किया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि श्रम न्यायालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानो के अंतर्गत उत्तरदाता क्रमांक 3 याचिकाकर्ता का कर्मचारी है अथवा नहीं पर विचार किये बिना अधिनिर्णय पारित किया गया है। अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा हिमांशु कुमार विद्यार्थी विरुद्ध बिहार शासन 1997(II) एम.पी.विकली नोट्स के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लिया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि अस्थाई कर्मचारी जिससे आवश्यकतानुसार सेवाएं ली जाती है को सेवा से पृथक किये जाने को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(**F**) के अंतर्गत छंटनी नहीं किया जा सकता।

7- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रेंज वन अधिकारी विरुद्ध एस.टी. हडीमनी(2002) 3 एस.सी.सी 25 में दिये गये प्रतिवेदित निर्णय का अवलंब लिया है कि कर्मचारी ने वास्तव में 1 वर्ष में 240 दिन कार्य किया है यह साबित करने का भार कर्मचारी पर है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तरदाता क्रमांक 3 द्वारा 240 दिनों की वेतन रसीद अथवा नियुक्ति का अभिलेख जमा नहीं किया है , जिससे यह साबित हो कि वास्तव में उत्तरदाता क्रमांक 3 ने 240 दिनों तक कार्य किया है।

8- उत्तरदाता क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों एच.डी. सिंह विरुद्ध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व अन्य ए.आर.आर.1986 एस.सी. 132 में प्रतिवेदित एवं वर्कमेन ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉरपोरेशन विरुद्ध मैनेजमेंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉरपोरेशन ए.आइ.आर. 1986 एस.सी. 458 में प्रतिवेदित अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि एक माह में 20-25 दिन कार्य करने का अर्थ पूरे महीने कार्य करता होता है क्योंकि रविवार व अन्य सवैतनिक अवकाश को कुल दिनों की गणना के लिये ध्यान में रखा जाना चाहिये जिस पर श्रमिक ने वास्तव में कार्य किया है।

9- दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के पश्चात एवं दस्तावेजों के परिशीलन में यह पाया गया कि इस बात का कोई स्पष्ट अभिमत वर्ष में 240 दिन कार्य किया इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व अन्य तथ्यों पर विचार नहीं किया तथा संबंधित दस्तावेजों की जांच किये बिना आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया । चूँकि विद्वान न्यायालय ने उत्तरदाता क्रमांक 3 के पक्ष में निर्णय पारित करने के पूर्व मालिक व कर्मचारी के संबंध एवं 1 कैलेण्डर वर्ष में 240 दिवस कायर् के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है एवं पुनः बहाली एवं पिछले वेतन के भुगतान का आदेश किया है। यह अधिनिर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10- यह प्रतीत होता है कि आक्षेपित अधिनिर्णय पर कोई निषेधाज्ञा नहीं प्रदान की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आक्षेपित अधिनिर्णय के अनुसार उनके द्वारा उत्तरदाता क्रमांक 3 को पत्र दिनाँक 28.08.2003 प्रदर्श **पी-10** के माध्यम से पुनः बहाली प्रस्ताव दिया था परंतु उत्तरदाता क्रमांक 3 ने अस्वीकृत कर दिया। उत्तरदाता क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया क्योकि याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

11- प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों एवं तथ्यों के आधार पर याचिका स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण की मूल फाईल पुनः श्रम न्यायालय, बिलासपुर को विधिसम्मत निराकरण हेतु प्रति प्रेषित की जाती है ।

चूँकि प्रकरण पुराना है एवं कर्मचारी की बर्खास्तगी से जुड़ा हुआ है अतः श्रम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने से तीन माह के भीतर निराकृत करे ।

सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Rashmi Khandelwal Adv,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur